



सराहनीय कार्य कानपुर देहात पुलिस



#CRACKDOWN

प्रेस नोट - दिनांक 04.10.2026

थाना रूरा पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस टीम की सयुक्त कार्यवाही से दिनांक 21.09.2026 को हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्तों को मौके से किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अदद मोबाइल, चोरी की सम्पत्ति (आभूषण/बिस्किट/चांदी के सिक्के/तोड़िया आदि) पीली धातु लगभग 80 ग्राम व सफेद धातु लगभग 150 ग्राम, घटना में प्रयुक्त 01 आला नकब, 01 स्कूटी सुजुकी एक्सेस 125 (बिना नम्बर), 01 तमन्चा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा जामा तलाशी से चोरी/टप्पेबाजी के कुल ₹ 25,500/- नकद बरामद हुए।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में कानपुर देहात के थाना रूरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के पर्यवेक्षण में, दिनांक 21.09.2026 को वादी हिमांशु त्रिपाठी पुत्र श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी नवासी A 736 विश्व बैंक बर्रा कानपुर नगर द्वारा अपने सगे चाचा श्री महेश तिवारी पुत्र स्व० कृपा शंकर तिवारी निवासी पालीवाल नगर कस्बा व थाना रूरा के घर में समय करीब 11.00 बजे अज्ञात चोरो द्वारा सोने-चाँदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 296/2026 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी व गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 04.10.2026 को थाना रूरा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, कि उपरोक्त चोरी घटना को कारित करने वाले 03 व्यक्ति बनीपारा से सिठमरा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर एसओ रूरा लक्ष्मणपुरवा गांव के समीप गाड़ाबन्दी करके बैठे थे, जैसे ही वे 03 व्यक्ति एक स्कूटी से आते हुये दिखायी दिये उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। किन्तु उनके द्वारा स्कूटी मोड़कर भागने के समय अचानक स्कूटी फिसल गयी जिससे गिर गये। उनमें से 01 व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया जिसमें 01 व्यक्ति घायल हो

गया। घायल व्यक्ति व अन्य 02 व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो घायल व्यक्ति द्वारा अपना नाम हिमांशू गौतम पुत्र विजय उर्फ विजय बहादुर गौतम निवासी श्रीनगर चौराहा के पास, रामनगर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता फुन्नू भदौरिया का किराये का मकान, श्रीराम पैलेस के सामने, करही थाना बर्ग जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 24 वर्ष बताया व पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम आभाष उर्फ अविनाश सविता पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस हाल पता किराये का मकान करई थाना बर्ग जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष बताया एवं तीसरे पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अजय शिल्पकार पुत्र ओमप्रकाश गिहार मूल पता मोहल्ला बजरंगनगर वार्ड नं. 12 कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हाल निवास गड़रियनपुरा दादानगर बोर्डर कंजड़ वस्ती विजय नगर चौराहा के पास थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष बताया। पकड़े गये तीनों अभियुक्तों की जामा तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे 03 अदद मोबाइल, चोरी की सम्पत्ति (आभूषण/बिस्किट/चांदी के सिक्के/तोड़िया आदि) पीली धातु लगभग 80 ग्राम व सफेद धातु लगभग 150 ग्राम, घटना में प्रयुक्त 01 आला नकब, 01 स्कूटी सुजुकी एक्सेस 125 (बिना नम्बर), 01 तमन्चा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा जामा तलाशी से चोरी/टप्पेबाजी के कुल ₹ 25,500/- नकद बरामद हुए। बरामदगी के सम्बन्ध में सभी अभियुक्तों द्वारा एक साथ बताया गया कि हम तीनों लोगों ने विजय के भाई अजय द्वारा दी गई लोकेशन के आधार पर दिनांक 21.09.2026 को कस्बा रूरा के पालीवाल नगर स्थित एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की थी। विजय का भाई अजय पालीवाल नगर में छिपकर हमें लोकेशन व जानकारी दे रहा था। चोरी किए गए माल को हम चारों लोगों ने आपस में बाँट लिया था। हम तीनों के कब्जे से जो चोरी का माल बरामद हुआ है, वह पालीवाल नगर स्थित उक्त मकान से चोरी किया गया था। घायल अभियुक्त हिमांशू गौतम उपरोक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, अवैध तमंचा व कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 आला नकब आदि बरामद होने एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. हिमांशू गौतम पुत्र विजय उर्फ विजय बहादुर गौतम निवासी श्रीनगर चौराहा के पास, रामनगर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर हाल पता फुन्नू भदौरिया का किराये का मकान, श्रीराम पैलेस के सामने, करही थाना बर्ग जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 24 वर्ष,
2. आभाष उर्फ अविनाश सविता पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना सादाबाद जनपद हाथरस हाल पता किराये का मकान करई थाना बर्ग जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष,

3. अजय शिल्पकार पुत्र ओमप्रकाश गिहार मूल पता मोहल्ला बजरंगनगर वाडे नं. 12 कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हाल निवास गड़रियनपुरवा दादानगर बोर्डर कंजड़ वस्ती विजय नगर चौराहा के पास थाना फजलगंज जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अविनाश उर्फ आभाष कुमार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 362/2025 धारा 110/115(2)/117(2)/126(2)/191(2)/ 352 बीएनएस थाना बर्गा जनपद कानपुर नगर ।
2. मु0अ0सं0 0365/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना बर्गा जनपद कानपुर नगर ।
3. मु0अ0सं0 373/2025 धारा 305/331(4)/62 बीएनएस थाना बर्गा जनपद कानपुर नगर ।
4. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 25/4 आयुध अधिनियम थाना बर्गा जनपद कानपुर नगर ।
5. मु0अ0सं0 296/2026 धारा 305(ए)/ 331(3)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना रूरा जनपद कापुर देहात ।
6. मु0अ0सं0 265 / 2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
7. मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हिमांशू गौतम उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 198/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेन पश्चिम पारा जनपद कानपुर नगर ।
2. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना हनुमन्त बिहार जनपद कानपुर नगर।
3. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना हनुमन्त बिहार जनपद कानपुर नगर ।
4. मु0अ0सं0 72/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर ।
5. मु0अ0सं0 123/2023 धारा 379/411/414 भादवि0 थाना रनियां जनपद कानपुर देहात ।
6. मु0अ0सं0 110/2023 धारा 380/411/414/457 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 66/2023 धारा 379 भादवि0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
8. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 3(5)/305(ए)/317(2)/317(5)/331(4) बीएनएस थाना किदवई नगर जनपद कानपुर नगर ।
9. मु0अ0सं0 434/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर ।
10. मु0अ0सं0 526/2020 धारा 41/411/413 भादवि0 थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर ।
11. मु0अ0सं0 38/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना सेन पश्चिम पारा जनपद कानपुर नगर ।

12. मु0अ0सं0 178/2026 धारा 305/317(2) भादोवे0 थाना सेन पोश्चिम पारा जनपद कानपुर नगर ।
13. मु0अ0सं0 296/2026 धारा 305(ए)/ 331(3)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना रूरा जनपद कापुर देहात ।
14. मु0अ0सं0 265 / 2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
15. मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय शिल्पकार उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 296/2026 धारा 305(ए)/ 331(3)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना रूरा जनपद कापुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 265/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी:-

1. चोरी की सम्पत्ति पीली धातु लगभग 80 ग्राम व सफेद धातु लगभग 150 ग्राम (आभूषण/ बिस्किट /चांदी के सिक्के/तोड़िया आदि)
2. चोरी व टप्पेबाजी के नगद कुल ₹ 25,500 / -
3. 03 मोबाइल फोन,
4. घटना में प्रयुक्त 01 आला नकब
5. 01 स्कूटी सुजुकी एक्सेस 125 (बिना नम्बर)
6. 01 तमन्चा 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पुलिस टीम:- थाना रूरा,एसओजी एवं सर्विलांस पुलिस टीम

1. थानाध्य श्री सुधीर भारद्वाज
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
3. का. 439 अजय गुप्ता
4. का. 789 अरूण प्रताप
5. हे.का. 433 सर्वेन्द्र
6. का. 839 सत्यपाल,
7. का. 311 संस्कार शाक्य
8. का. 114 सुरेश कुमार
9. का. 145 आशीष कुमार